



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2018-00083

— समक्ष —

श्री विवेक ढाँड, अध्यक्ष

राजधानी विहार रेसीडेन्ट्स वेलफेयर सोसायटी,
द्वारा—अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा,
पता—C/O श्री दिवाकर पाण्डेय, मकान नं.—एफ—7,
राजधानी विहार, विधानसभा रोड,
सड्डू, रायपुर (छ.ग.)

.....

आवेदक

विरुद्ध

मेसर्स सूर्या लैण्ड डेव्हलपर्स,
द्वारा—डॉ. अशोक खेमका,
पता—गुढियारी, रायपुर (छ.ग.)

.....

अनावेदक

(प्रोजेक्ट—अवंती राजधानी विहार, ग्राम—सड्डू, रायपुर)

रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर—PCGRERA180718000593

आदेश

(दिनांक—30/04/2019)

आवेदक राजधानी विहार रेसीडेन्ट्स वेलफेयर सोसायटी, द्वारा—अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, पता—मकान नं.—एफ—7, राजधानी विहार, विधानसभा रोड, सड्डू, रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप—ड (FORM-M) में अनावेदक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक का कथन है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के लिए ब्रोशर के माध्यम से क्रेताओं को प्लॉट व मकान क्रय करने हेतु आकर्षित किया गया था, जिससे आकर्षित होकर आवेदक आबंटितियों द्वारा प्लॉट व मकान क्रय किया गया था। किंतु आवेदक के अनुसार, अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में अब तक ब्रोशर में वर्णित सुविधाएँ पूर्ण नहीं की गई हैं। आवेदक ने प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में ब्रोशर के अनुसार समस्त सुविधाएँ विकसित करने हेतु अनावेदक को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में आवेदक द्वारा अपने मूल आवेदन में श्री अशोक खेमका को उत्तरवादी बनाया गया था। जिस पर उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 04.09.2018 को आवेदन प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया, कि आवेदक द्वारा "सूर्या लैण्ड डेव्हलपर्स" के स्थान पर श्री खेमका को उत्तरवादी बनाया गया है, जो विधिक रूप से सही नहीं है। क्योंकि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में श्री खेमका द्वारा व्यक्तिगत रूप (Individual capacity) में कोई करार या सौदा किसी भी आबंटिती से नहीं किया गया है। अतः श्री खेमका के

विधिक प्रतिनिधि द्वारा उन्हें उत्तरवादी की भूमिका से मुक्त करने का आग्रह किया गया। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत श्री अशोक खेमका के स्थान पर "सूर्या लैण्ड डेव्लपर्स" को उत्तरवादी के रूप में संयोजित करने का आदेश दिया गया।

3. प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक अधिवक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 4 के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए आवेदक रहवासी सोसायटी के locus-standi पर आक्षेप करते हुए प्रस्तुत वाद को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। आवेदक सोसायटी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उनके विधिक रूप से रजिस्टर्ड होने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर अनावेदक की उक्त आपत्ति को प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार किया गया।
4. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये।
5. अनावेदक द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए आवेदक की शिकायत का खण्डन किया गया। अनावेदक का कथन है कि प्रस्तुत शिकायत में अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों व नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई विशिष्ट कथन न होने के कारण प्रस्तुत शिकायत रेरा में सुनवाई योग्य नहीं है। अनावेदक के अनुसार उक्त शिकायत की सुनवाई नगर पालिक निगम के क्षेत्राधिकार में है, न कि रेरा के। अनावेदक ने उल्लेख किया है कि उक्त सोसायटी के रख-रखाव का दायित्व आवेदक का है, न कि अनावेदक का। इसी तरह इसकी सामान्य सुविधाओं यथा-सड़क, स्ट्रीट लाईट, पार्क, वाटर सप्लाई आदि की जिम्मेदारी नगर पालिक निगम की है, क्योंकि नगर पालिक निगम द्वारा दिनांक 11.05.2009 को बंधक प्लॉट मुक्त कर दिए गए हैं। इसलिए इस संबंध में अनावेदक के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अनावेदक के अनुसार उसके द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के संबंध में ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रस्तुत शिकायत निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।
6. प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति की जांच हेतु कमिश्नर की नियुक्ति करने संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर अनावेदक की मौखिक सहमति से, प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति के संबंध में प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र आर्किटेक्ट से स्टेट्स रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा उभय पक्षों को इसकी प्रति उपलब्ध कराई गई। आवेदक द्वारा अपना प्रत्युत्तर भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त उभय पक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज व फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किए गए।

7. प्रकरण में उभय पक्षों को अपने-अपने पक्ष के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने का समुचित व पर्याप्त अवसर दिया गया। आवेदक के आवेदन, अनावेदक के जवाब, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने उपरांत प्रकरण में निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :-
1. क्या अनावेदक की यह प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार योग्य है कि प्रश्नाधीन वाद की सुनवाई रेरा के क्षेत्राधिकार में नहीं है ?
 2. क्या अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बंधक मुक्ति संबंधी दस्तावेज दिनांक 11.05.2009 को कॉलोनी विकास का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र माना जा सकता है ?
 3. क्या अनावेदक द्वारा प्रस्तुत "भवन निर्माण कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र" दिनांक 08.04.2013 को कॉलोनी विकास का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र माना जा सकता है ?
 4. क्या ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाएँ प्रदान करने हेतु प्रमोटर बाध्य है ? और क्या प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाएँ, प्रमोटर द्वारा उपलब्ध करा दी गई है ?
8. विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 के संबंध में अनावेदक का कथन है कि प्रश्नाधीन वाद अधिनियम की धारा-31 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जो तभी किया जा सकता है, जब प्रमोटर द्वारा रेरा के प्रावधानों व नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रस्तुत शिकायत में आवेदक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनावेदक द्वारा रेरा के किन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है ? अतः प्रस्तुत शिकायत की सुनवाई रेरा के क्षेत्राधिकार में नहीं है, अपितु नगर पालिक निगम के क्षेत्राधिकार में है। आवेदक के वाद-पत्र एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक की शिकायत का मुख्य बिंदु यह है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में ब्रोशर के अनुरूप समस्त सुविधाओं का विकास अब तक नहीं किया गया है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार विज्ञापन/प्रास्पेक्ट्स/ब्रोशर आदि के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने हेतु प्रमोटर बाध्य है। यदि किसी प्रमोटर द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो वह उक्त अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में अधिनियम की धारा-12 में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत का मुख्य वाद बिन्दु अधिनियम के इन प्रावधानों को आकर्षित करता है। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर-PCGRERA180718000593 के रूप में रेरा में भी रजिस्टर्ड है। अतः प्रस्तुत वाद की सुनवाई रेरा के क्षेत्राधिकार में होने के कारण अनावेदक द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की जाती है।
9. विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 के संबंध में अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट की पूर्णता के संबंध में दिनांक 11.05.2009 को जारी बंधक मुक्ति संबंधी दस्तावेज को कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के रूप में प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट को पूर्ण होना बताने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि बंधक मुक्ति संबंधी दस्तावेज को कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र नहीं माना जा सकता। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगर पालिक

(कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तों) नियम, 2013 के नियम 11 (आठ) में कॉलोनी के विकास कार्य की पूर्णता प्रमाण-पत्र संबंधी प्रावधान वर्णित हैं, जो उक्त नियम के 11 (एक) में वर्णित बंधक मुक्ति संबंधी दस्तावेज से भिन्न है। अधिनियम की धारा 2 (q) में कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में बंधक मुक्ति संबंधी दस्तावेज, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के पूर्व जारी किए जाने की व्यवस्था है। अतः छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र से भिन्न किसी अन्य दस्तावेज को कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र नहीं माना जा सकता।

10. **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-3** के संबंध में अनावेदक का कथन है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के "कम्युनिटी हॉल कॉम्प्लेक्स" के संबंध में उसे दिनांक 08.04.2013 को कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हो चुका है। प्रकरण में संलग्न उक्त "भवन निर्माण कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र" का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक को "व्यवसायिक निर्माण" हेतु प्रदत्त भवन निर्माण अनुज्ञा क्रमांक-299 दिनांक 18.11.2010 के तहत व्यवसायिक निर्माण के संबंध में उक्त कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। इसमें कम्युनिटी हॉल या ब्रोशर में वर्णित अन्य सुविधाओं की पूर्णता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है और न ही प्रश्नाधीन कॉलोनी की कार्य पूर्णता के संबंध में कोई उल्लेख किया गया है। अतः उक्त "भवन निर्माण कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र" दिनांक 08.04.2013 को प्रश्नाधीन कॉलोनी की कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र नहीं माना जा सकता है।
11. **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-4** के संबंध में आवेदक का तर्क है कि अनावेदक ने प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में प्रास्पेक्ट्स/ब्रोशर के अनुसार समस्त सुविधाओं का विकास नहीं किया है और न ही इसमें वर्णित सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। आवेदक के अनुसार प्रमोटर ने प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में कई स्थान पर बाह्य बाउंड्रीवाल का निर्माण नहीं किया है। इसी तरह डामरीकृत सड़क के स्थान पर आर.सी.सी. सड़क बनाई गई है, जो समुचित गुणवत्ता व मापदण्डों के अनुसार न बनाए जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। अनावेदक ने आवश्यक क्षमता के अनुरूप ओवर हेड टैंक का निर्माण नहीं किया है और सोडियम वेपर्स स्ट्रीट लाईट के स्थान पर एल.ई.डी. लाईट लगाई है। आवेदक के अनुसार अनावेदक ने सड़कों के किनारे निर्मित की जाने वाली नालियों का कार्य भी पूर्ण नहीं किया है। इसी तरह अनावेदक ने ब्रोशर के अनुसार अस्पताल, कम्युनिटी हॉल, हेल्थ क्लब, वाटर हार्वेस्टिंग व स्वीमिंग पुल आदि सहित अनेक सुविधाएँ अब तक उपलब्ध नहीं कराई हैं। ब्रोशर में वर्णित सुविधाओं के संबंध में, अनावेदक द्वारा परस्पर विरोधाभासी तथ्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। एक ओर अनावेदक ने अपने लिखित जवाब में ब्रोशर में वर्णित सुविधाओं के संबंध में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खण्डन करते हुए समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कथन किया है। वहीं दूसरी ओर अनावेदक ने प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में शेष सभी कार्यों को 45 दिवस के भीतर पूर्ण करने का वायदा भी प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 02.11.2018 को किया है और दिनांक 07.12.2018 को उक्त कार्यों की प्रगति संबंधी फोटोग्राफ्स भी प्राधिकरण के

समक्ष प्रस्तुत करते हुए आगामी 20 दिवस के भीतर समस्त कार्य पूर्ण करने का कथन किया है। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की प्रगति के संबंध में स्वतंत्र आर्किटेक्ट से प्राप्त रिपोर्ट के अध्ययन व अवलोकन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में ब्रोशर के अनुरूप समस्त विकास कार्य अब तक पूर्ण नहीं किए गए हैं। आर्किटेक्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया है कि अनावेदक द्वारा निर्मित बाउंड्रीवाल की ऊंचाई भिन्न-भिन्न स्थलों पर भिन्न-भिन्न है। मुख्य रूप से नहर से लगी हुई बाउंड्रीवाल की ऊंचाई बेहद कम होने से यह असुरक्षित है। इसी तरह अनावेदक द्वारा तीन लाख लीटर के एक ओवर हेड टैंक के स्थान पर दो लाख लीटर का एक ओवर हेड टैंक और एक भूमिगत टैंक का निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट ने अपने रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट उल्लेखित किया है कि अनावेदक द्वारा नालियों का निर्माण समुचित रूप से नहीं किया गया है और यह कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। अनावेदक ने खाली भूखण्डों के सामने नालियों का निर्माण ही नहीं किया गया है। आर्किटेक्ट ने स्थल निरीक्षण पश्चात् तैयार की गई अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि “It can be considered that the development work is not completed in all respect as per the brochure.” इन सभी तथ्यों पर सम्पूर्णता से विचार करने पर अनावेदक द्वारा ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मंशा पर ही प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है। सुनवाई के दौरान आवेदक ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि अनावेदक द्वारा उन्हें प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में “स्वीमिंग पुल” हेतु निर्धारित स्थल की जानकारी नहीं दी जा रही है और यह कथन किया जा रहा है कि “स्वीमिंग पुल” निर्माण हेतु रहवासी सोसायटी को अनावेदक/प्रमोटर से जगह खरीदनी होगी। इस संबंध में अनावेदक का कथन है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के ब्रोशर में उनके द्वारा कहीं भी “स्वीमिंग पुल” निर्माण का वायदा नहीं किया गया है, अपितु ब्रोशर में इस हेतु पर्याप्त खुली जगह उपलब्ध होने का वर्णन है। अनावेदक के अनुसार प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में “स्वीमिंग पुल” निर्माण हेतु अब भी पर्याप्त खुली जगह उपलब्ध है, किन्तु यह जगह आबंटितियों को निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व प्रकरण की परिस्थितियों से प्राधिकरण को यह समाधान होता है कि “स्वीमिंग पुल” के संबंध में अतिरिक्त राशि लेकर जगह उपलब्ध कराने संबंधी अनावेदक का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। इसी तरह प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाएँ उपलब्ध करा दिए जाने के संबंध में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब भी समाधानकारक प्रतीत नहीं होता है। प्रमोटर यदि ब्रोशर/प्रास्पेक्ट्स के माध्यम से प्लॉट/अपार्टमेंट/भवन आदि के विक्रय का ऑफर करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्रेता उक्त संपत्ति क्रय हेतु उसमें वर्णित सुविधाओं से आकर्षित होकर निर्णय लेता है। संभवतः केवल इन सुविधाओं के आधार पर ही क्रेता संपत्ति क्रय हेतु कुछ अतिरिक्त राशि का भार वहन करते हुए भी प्रोजेक्ट में निवेश करता है। ऐसे में यदि प्रमोटर, ब्रोशर में वर्णित सुविधाएँ प्रदान नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर यह संबंधित क्रेताओं के साथ छल है। यदि ब्रोशर में मकान के अतिरिक्त ऐसी अन्य सुविधाएँ वर्णित न हो, तो संभवतः क्रेता की रूचि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के अलावा किसी

अन्य प्रोजेक्ट में होती या वह इस हेतु अतिरिक्त राशि का निवेश नहीं करता। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ढ) में यथा परिभाषित "सामान्य क्षेत्र", जो व्यक्तियों को आमंत्रित करने के लिए जारी ब्रोशर/प्रास्पेक्ट्स/विज्ञापन में वर्णित हो, इसे पूरा करने के लिए प्रमोटर बाध्य है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में ब्रोशर में वर्णित सुविधाएँ पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने के संबंध में ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। निष्कर्षतः प्रकरण की परिस्थितियों से यह प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में अनावेदक द्वारा ब्रोशर के अनुसार समस्त सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई हैं, जो विधिसम्मत नहीं है।

12. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार करते हुए अनावेदक/प्रमोटर के विरुद्ध निम्न आदेश पारित किया जाता है :-
 1. अनावेदक/प्रमोटर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में परिलक्षित कमियों को दूर करते हुए समुचित कर्मकौशल (Workmanship) व गुणवत्ता के साथ इसे शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करे।
 2. अनावेदक/प्रमोटर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट हेतु ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाएँ माह जुलाई, 2019 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करे।
 3. अनावेदक/प्रमोटर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाओं की पूर्ति के उपरांत, "छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013" के नियम 11 (आठ) के तहत, सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करे।
 4. अनावेदक/प्रमोटर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में परिलक्षित कमियों को दूर करने के पश्चात् कॉलोनी के रख-रखाव का दायित्व आवेदक सोसायटी को सौंपना सुनिश्चित करे। साथ ही अधिनियम की धारा-17 के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करे।
 5. अनावेदक/प्रमोटर स्वीमिंग पुल हेतु पर्याप्त जगह आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
 6. चूँकि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आज पर्यन्त कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, अतः सक्षम प्राधिकारी/आयुक्त, नगरपालिक निगम, रायपुर को आदेशित किया जाता है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में, ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाओं की पूर्ति करने के उपरांत ही, उक्त प्रोजेक्ट में नियमानुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करें।

सही/-
(विवेक ढाँड)
अध्यक्ष